

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 39/2019-2020
(भूदान पत्र-दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

भू-दाता हरी भगत, पिता-श्री कुवर भगत, माधो, ग्राम-खनगाह, थाना+जिला-अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान-यज्ञ-दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान-यज्ञ-दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:-

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
103	-	03 डी०	उतर-जमई भगत दक्षिण-देवलाल सिंह पूरब-नीज पश्चिम-रामेश्वर साव

मौजा-महुअरी नुरुल्लाह, थाना-अरवल, थाना संख्या-..... जिला-अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। भूदाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 837 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, अरवल के माध्यम से भूदाता को नोटिस तामिला कराया गया एवं वर्णित भूमि से संबंधित जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचल अधिकारी अरवल द्वारा नोटिस तामिला एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में वर्तमान कब्जाधारी को नोटिस निर्गत किया गया। कब्जाधारी का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। भूदाता के तरफ से संजय कुमार, पिता-स्व० सुरेन्द्र पासवान (दाता का पोता) न्यायालय में उपस्थित हुए। कब्जाधारी के तरफ से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुए और ना ही किसी के द्वारा कोई आपति दर्ज की गई है।

भूदान यज्ञ-दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल का जाँच प्रतिवेदन तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ-दान पत्र पर भूदाता का हस्ताक्षर अंकित है। भूदाता द्वारा वर्णित भूमि दिनांक 11.02.1954 को भूदान यज्ञ दान पत्र के माध्यम से दिया गया है। अंचल अधिकारी, अरवल ने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि वर्णित भूमि का खतियान उपलब्ध नहीं है। रामवली यादव, पिता-राम दहीन सिंह के नाम पर जमाबंदी संख्या-191/6, 2/1 दर्ज है। जमाबंदी रैयत एवं भूदाता का कोई संबंध नहीं है। वर्तमान में वर्णित भूमि पर रामवली सिंह, पिता-स्व० रामदहीन सिंह दखल कब्जा में है। वर्तमान में वर्णित भूमि पर मकान एवं हाता निर्मित है। भूमि रैयति खाते की है। भूहदबी, गैरमजरूआ आम, मालिक, केशरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, चिरारी आदि से मुक्त है।

भू-दाता का पोता संजय कुमार, पिता-स्व० सुरेन्द्र पासवान ने बताया है कि भूदान दान पत्र में दी गई भूमि के संबंध में मुझे कुछ नहीं जानकारी है। इनके द्वारा कोई लिखित कथन नहीं दिया गया है। अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि वर्णित भूमि रामवली सिंह, पिता-स्व० रामदहीन सिंह के नाम पर डिमांड संख्या-191/6, 2/1 कायम है एवं वर्णित भूमि पर मकान एवं हाता है। अतः अंचल अधिकारी, अरवल के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में वर्णित भूमि के भूदाता एवं कब्जाधारी का संबंध स्पष्ट नहीं हो रहा है एवं भूमि पर मकान एवं हाता की भूमि को संपुष्ट करना उचित प्रतीत नहीं होता है। भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि को असंपुष्ट की जाती है। आदेश की एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।